


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>16/5/19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील <u>वादी</u> उपस्थित/अनु. पत्रावलियों की अधिकता/अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण आज इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी है। अतः पत्रावली पूर्ववत दिनांक <u>24/6/19</u> को पेश हो।</p>	
<p>24/6/19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील <u>वादी</u> उप./अनु./ पीतारोम अधिकारी के अवकाश पर होने/पद रिक्त होने/स्थानान्तरण होने से आज पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी है। अतः पत्रावली पूर्ववत दिनांक <u>11/9/19</u> को पेश हो।</p>	
<p>7/8/19</p>	<p>वादी द्वारा विद्वो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। वादी वादी द्वारा सनप का पत्रावली पदचान पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी की दलील की गई। विद्वो प्रार्थना पत्र क्षम-पत्रावली किया गया। वादी विद्वो आदेश पत्रावली दिनांक 11/9/19 को पेश हो।</p>	<p>Amj</p>
<p>11/9/19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील <u>वादी</u> उप./अनु./ अधिकारी के अवकाश पर होने/पद रिक्त होने/स्थानान्तरण होने से आज पत्रावली में कार्यवाही नहीं हो सकी है। अतः पत्रावली पूर्ववत दिनांक <u>27/10/19</u> को पेश हो।</p>	
<p>23/10/19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 के अनुसार प्रार्थना पत्र वादी बाबत बाद विद्वो स्वीकार कर बाद वादी रज विद्वो रजिस्ट्रार किया जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। पत्रावली फिलहाल छोड़कर न. से काम ले तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p>Amj</p>

